

दूरभाष:- 23793521

फैक्स:- 23793521

सं. 19011/24 /2019 /के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि.
भारत सरकार

11070/1769

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 05.11.2019

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों /सांविधिक निकायों /उद्यमों /अभिकरणों /निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण - वर्ष 2020

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/ निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

वर्ष 2020 में आयोजित की जाने वाली गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण तिथियों सहित अनुलग्नक-1 में दिया जा रहा है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्यशाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष के लिए उन्हें एक साथ नामित कर सकें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	गहन हिंदी कार्यशाला	(क) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना । (ख) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन काम को हिंदी में करने की झिझक को दूर करना । (ग) कार्यालयीन कार्य को करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना । (घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/ साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना ।	पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/उद्यम/ अभिकरण/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

....2..

पात्रता

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान * या प्रवीणता ** प्राप्त है। (कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषाएँ अलग से * / * * में दी गई हैं।)
- जो हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जिन्हें इसके बावजूद भी हिंदी में कार्यालय का कार्य करने में कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है।
- उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

*** हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-**

मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है।

या

- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत वांछित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

**** हिंदी में प्रवीणता प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-**

- मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है।

या

- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो।

या

- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'III' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को भिजवाएं, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा अलग से यथासमय पुष्टि पत्र भेजा जाएगा।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए कार्यमुक्त करें।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- प्रशिक्षण केंद्र का पता :** अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे एंड के हाउस के सामने/राजस्थान भवन के नजदीक) नई दिल्ली-110011

विशेष

- गहन हिन्दी कार्यशालाओं के वार्षिक विवरण के लिए अनुलग्नक 'I' देखें।
- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।

- यात्रा/दैनिक भत्ता आदि जो भी नियमानुसार देय होगा वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं।
- कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों के नामों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए। यदि किसी कारणवश उन्हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजा जा सकता है। नामित अधिकारी को ऐसे ही किसी अगले कार्यक्रम में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित एकक के प्रभारी सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23793521 पर संपर्क करें।

संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता एवं उनके बस रुट / निकटतम मेट्रो स्टेशन आदि के लिए अनुलग्नक-II देखें।

भवदीया,



(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19011/24/2019/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि./10704/1769

दिनांक: 05.11.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूरु।



(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक

प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेंडर - वर्ष 2020

गहन हिंदी कार्यशालाएँ

(पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)

क्रम संख्या	कार्यशाला सं.	प्रशिक्षण-अवधि
1.	491	06.01.2020 से 10.01.2020
2.	492	20.01.2020 से 24.01.2020
3.	493	17.02.2020 से 21.02.2020
4.	494	02.03.2020 से 06.03.2020
5.	495	20.04.2020 से 24.04.2020
6.	496	11.05.2020 से 15.05.2020
7.	497	08.06.2020 से 12.06.2020
8.	498	22.06.2020 से 26.06.2020
9.	499	06.07.2020 से 10.07.2020
10.	500	20.07.2020 से 24.07.2020
11.	501	03.08.2020 से 07.08.2020
12.	502	07.09.2020 से 11.09.2020
13.	503	21.09.2020 से 25.09.2020
14.	504	02.11.2020 से 06.11.2020
15.	505	16.11.2020 से 20.11.2020

संपर्क सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 दूरभाष-011-24361852 फैक्स-011-24361852 ई-मेल dirchti-dol@nic.in	प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-011-23793521 फैक्स-011-23793521

प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता तथा उनके बस रुट/ निकटतम मेट्रो स्टेशन

प्रशिक्षण केंद्र
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली - 110011 दूरभाष-011-23793521 बस रुट - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक बस नं.- 181, 450 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पृथ्वीराज रोड बस नं.- 502 अ.रा.बस. अड्डे से पृथ्वीराज रोड तक बस नं-501,503,533, 621 मेट्रो स्टेशन : खान मार्किट, जोर बाग एवं रेस कोर्स, आनंद विहार बस अड्डे से 624

हॉस्टल	हॉस्टल
वार्डन (हॉस्टल), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ्लैट नं. 2 तीसरा तल, गवर्नमेंट हॉस्टल, खालसा इवनिंग कॉलेज के सामने, देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005. दूरभाष 011-28716509 बस रुट -नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खालसा कॉलेज बस नं. 181 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिबर्टी सिनेमा बस नं. 926 हॉस्टल से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक (पृथ्वीराज रोड) बस नं. 450,181	छात्रावास वार्डन/केयर टेकर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, फ्लैट सं. 876 से 890 पुष्प विहार, सैक्टर-7, नई दिल्ली-110017 दूरभाष 011- 29562873,24361734 बस रुट -पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 419 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से- आर.के आश्रम स्टॉप से बस नं. 521-522 पुष्प विहार हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र - बस नं. 521-522 निकटतम बस स्टॉप लोदी गार्डन

